कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–908/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(38)/2018 दिनांक 23 फरवरी, 2018

सेवा में,

अवर सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार, 1–संसद मार्ग, नई दिल्ली।

विषयः मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2017 के अनुपालन में ब्लैक स्पॉट प्रोटोकोल लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–आरटी25039/3/2016–आरएस दिनांक 02–01–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत रिट याचिका संख्या–295/2012 एस0 राजशेखर बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2017 को पारित आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने और कृत कार्यवाही की आख्या से भारत सरकार को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयीं है।

2– मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों में अन्य आदेशों के अतिरिक्त ब्लैक स्पॉट प्रोटोकोल के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैंः–

> **Engineering Improvement:** It appears that one of the main reasons for road accidents is the poor quality of roads, improper design, etc. The MoRTH is of the opinion that the protocol for road design and identification of black spots needs to be reviewed and enforced. Accordingly, it is directed that the MoRTH should publish a protocol for identification and rectification of black spots and take necessary steps for improving the design of roads to make them safe.

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में यदि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से कोई नया प्रोटोकोल निर्गत किया गया हो, तो कृपया उक्त की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– रीजनल ऑफिसर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58/37 बलबीर रोड़, देहरादून।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालयः कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलः rscelluk@gmail.com